प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 9 / 2025

1 – सुरेश कुमार कोचर पिता स्वर्गीय दीपचंद कोचर, 73 वर्ष, सकी वार्ड संख्या, 23 महावीर चौक कवर्धा, जिला कबीरधाम (सी. जी.)

..... आवेदक

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना के द्वारा, गंडई, जिला खैरागढ़, छुईखादन, गंडई (सी. जी.)

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :––सुश्री शर्मिला सिंघई, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री कंचन कलवानी, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :––सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, उप–शासकिय अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

03–04–2025

1. आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 के तहत यह दाण्डिक विचारण याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, छत्तीसगढ़ (सीजी) द्वारा सत्र विचारण संख्या 31/2024 में पारित दिनांक 16–10–2024 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के खिलाफ भा.दं. सं. की धारा 279 और 304 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3/181 के तहत आरोप निर्धारित किया हैं और आवेदक द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 227 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक पुलिस थाना गंडई, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में दर्ज अपराध क्रमांक 8/2024 के तहत भा.दं. सं. की धारा 304 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181 के तहत आरोपी है। 05–01–2024 को आवेदक के खिलाफ पुलिस थाना गंडई में एफआईआर दर्ज की गई है

जिसमें आरोप लगाया गया है कि 05-01-2024 को लगभग 18:30 बजे ग्राम गंडई मुख्य सड़क पर रेस्ट हाउस के पास आवेदक ने मृतक को एक्सीडेंट किया, जिसकी बाद में पहचान दिनेश यादव निवासी ग्राम झुरानदी के रूप में हुई।दुर्घटना में मृतक दिनेश यादव वाहन के निचले हिस्से में पहियों के बीच फंस गया और कुछ दूरी तक घसीटता हुआ चला गया, जो लगभग एक किलोमीटर है। अज्ञात सफेद रंग के वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच के बाद पाया गया कि यह वाहन क्रमांक सीजी 09 जेसी 4777 था और फिर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, वर्तमान आवेदक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत का कारण हेमोपेरिटोनियम और पॉलीट्रॉमा के परिणामस्वरूप रक्तस्रावी सदमे के कारण होना बताया है और सड़क यातायात दुर्घटना के प्रकरण में संभव है और चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की हैं।एफआईआर के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र सामग्री के आधार पर पुलिस ने आवेदक के खिलाफ भा.दं. सं. की धारा 279, 304 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3/181 के तहत अपराध के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। चूंकि आरोप पत्र भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत दायर किया गया था, इसलिए प्रकरण को सुनवाई के लिए विद्वान सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।आवेदक ने 04-09-2024 को विद्वान विचारण न्यायालयके समक्ष दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर किया था और भा.दं. सं. की धारा 304 के अपराध से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी और प्रस्तुत किया था कि अपराध, यदि कोई हो, भा.दं. सं. की धारा 304 ए के अंतर्गत आता है न कि भा.दं. सं. की धारा 304 के अंतर्गत. आवेदक द्वारा दायर आवेदन पर 16-10-20204 को निर्णय लिया गया और विद्वान विचारण न्यायालयने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि भा.दं. सं. की धारा 304, 279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181 के तहत अपराध के लिए आरोप निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और उसी दिन आवेदक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप निर्धारित किया गया किए गए:

"01- आपने दिनांक 05/01/2024 की शाम लगभग 18.30 बजे स्थान मेन रोड रेस्ट हाउस के पहले गंडई थाना गण्डई जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) में अपने वाहन बलेनो कार कमांक CG 09 JC 4777 को लोक मार्ग में उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवउ में संकटापन्न कारित किया ?

02- आपने उक्त घटना दिनांक समय एवं लोक स्थान पर अपने उक्त वाहन बलेनो कार कमांक CG 09 JC 4777 को इस ज्ञान के साथ उपेक्षा एवं उतावलेपूर्वक चलाते हुए सड़क पर चल रहे दिनेश यादव उम्र 35 वर्ष को ठोकर मारकर घसीटते हुए, जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हुई, आपराधिक मानव वध किया, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है ?

03- आपने उक्त घटना दिनांक समय एवं स्थान पर अपने उक्त बलेनो कार क्रमांक CG 09 JC 4777 को बिना वैध अनुज्ञप्ति के मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन में चलाया?

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अधीन दंडनीय अपराध है तथा जिनके संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।"

याचिका में दिनांक 16-10-2024 के उक्त आदेश को चुनौती दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालयके समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित किया गया करने के लिए ऐसी कोई सामग्री नहीं है और सबसे अच्छी स्थिति में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता की ओर से ऐसा अपराध करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए आरोप निर्धारित किया गया करना अवैध है और आरोप को रद्द करने की प्रार्थना की। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालययह विचार करने में विफल रहा है कि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध के लिए आरोप लगाने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के तत्व मौजूद होने चाहिए और यदि ये तत्व गायब हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध का पता नहीं लगाया जा सकता है।**इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए उन्होंने दिनेश कुमार यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के फैसले का हवाला दिया है, जिसकी रिपोर्ट 2012 एससीसी ऑनलाइन अध्याय 238 में दी गई है और निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बिजया और अन्य का मामला, जिसकी रिपोर्ट (1990) 4 एससीसी 76 में दी गई है और फिनिल बिजू बनाम केरल राज्य** (दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 136/2023 का फैसला 27-9-2023 को हुआ) के प्रकरण का हवाला दिया है और भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत लगाए गए आरोप को रद्द करने की प्रार्थना की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए विद्वान राज्य अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के बाद आवेदक के खिलाफ सही तरीके से आरोप निर्धारित किया गया किया है, इसलिए वह दाण्डिक पुनरीक्षण को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. उपरोक्त निवेदन से, इस न्यायालय के निर्धारण हेतु मुद्दा यह सामने आया कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय आवेदक के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित किया गया करने में उचित था।

7. इस बिंदु को समझने के लिए, इस न्यायालय को भा.दं. सं. की धारा 304 तथा 304-ए के प्रावधानों का पता लगाना होगा जो निम्नानुसार हैंः---

"धारा 304। हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध हत्या के लिए दण्ड।

जो कोई हत्या की कोटि में न आने वाली सदोष मानव वध करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यदि वह कार्य, जिससे मृत्यु हुई है, मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया है, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है,या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है, यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु उसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना न हो, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भव हो।

304A. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा भरे कार्य द्वारा करता है जो सदोष मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

8. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित किया गया करने के लिए अभियुक्त का कार्य करने का इरादा या ज्ञान या कार्य पूर्वचिंतन के साथ किया गया है, यह अभिलेख पर उपलब्ध होना चाहिए।यह विवाद्यक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **समक्ष अन्बझगन बनाम राज्य के प्रकरण में आया था, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक ने किया था, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 2023 एससी 3660 में दी गई थी,** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं. सं. की धारा 304 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए कंडिका 60 उप कंडिका12 में निम्नानुसार आदेश दिया था:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:---

(12) इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या अभियुक्त के पास दोषी इरादा या दोषी ज्ञान था, ऐसे प्रकरण में जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट पहुंचाई गई है और वह चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तथ्य यह है कि कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्वचिंतन के बिना किया गया है, या परिस्थितियां यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में हुई थी, या उसका केवल एक साधारण चोट पहुंचाने का इरादा था, दोषी ज्ञान के अनुमान को जन्म देगा, और अपराध भा.दं. सं. की धारा 304 भाग II के तहत होगा।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हाल ही में एन. रामकुमार बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व प्रकरण में दिए गए फैसले में भी एआईआर 2023 एससी 4246 में इसी सिद्धांत को दोहराया है।**

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महादेव प्रसाद कौशिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रकरण में, (2008) 14 एससीसी 479 में रिपोर्ट किया गया,** भा.दं. सं. की धारा 304 और भा.दं. सं. की धारा 304-ए

के तहत अपराध पर विचार किया है और कंडिका 23, 24 और 26 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"23. धारा 304A भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम XXVII) द्वारा डाली गई थी और इस प्रकार है: – 304 ए. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना का कारण बनना जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावले या उपेक्षा भरे कार्य से करता है जो सदोष मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यह धारा उतावले या उपेक्षा भरे कार्य से हुई हत्या से संबंधित है। यह कोई नया अपराध नहीं बनाता है।यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के दायरे से बाहर के अपराधों के विरुद्ध है और उन प्रकरण को कवर करती है, जहां बिना किसी इरादे या जानकारी के मौत हुई है। प्रावधान में "सदोषपूर्ण हत्या की श्रेणी में न आने वाले" शब्द महत्वपूर्ण हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह धारा उन प्रकरण को शामिल करने का प्रयास करती है, जहां न तो मौत कारित करने का आशय है और न ही यह जानकारी है कि किए गए कार्य से सभी संभावनाओं में मृत्यु हो जाएगी। यह उन कार्यों पर लागू होता है जो जल्दबाजी या उपेक्षा से किए गए हों और सीधे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24.इस प्रकार धारा 304 और धारा 304 ए के बीच अंतर है। धारा 304 ए उन प्रकरण को अलग करती है जहां मृत्यु जल्दबाजी या उपेक्षा से किए गए कार्य के कारण होती है जो धारा 299 के अर्थ में हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध या भा.दं. सं. की धारा 300 के तहत हत्या की कोटि में न आने वाले हत्या की कोटि में नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, धारा 304 ए धारा 299 और धारा 300 के सभी तत्वों को बाहर कर देती है। जहां आशय या परिवाद किए गए कार्य का 'प्रेरक बल' है, वहां धारा 304 ए को तथ्यों के अनुसार हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध या हत्या की कोटि में आने वाले सदोष मानव वध के अधिक गंभीर और अधिक गंभीर आरोप के लिए जगह बनानी होगी।यह धारा उन प्रकरण में लागू होती है, जहां न तो मृत्यु कारित करने का आशय होता है और न ही यह ज्ञान होता है कि कार्य से मृत्यु की पूरी संभावना है। 26. हालांकि संहिता में 'उपेक्षा' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उपेक्षा कुछ ऐसा करने में चूक है, जिसे एक उचित व्यक्ति, उन विचारों पर निर्देशित होकर करेगा, जो सामान्य रूप से मानवीय प्रकरण के आचरण को विनियमित करते हैं, या ऐसा कुछ करना है, जिसे एक उचित और विवेकशील व्यक्ति नहीं करेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेश गिरि बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में, (2008) 1 एससीसी 791 में रिपोर्ट किया है, पैरा 7 से 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"7. धारा 304–ए भा.दं. सं. उन प्रकरण पर लागू होती है, जहां मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं होता है और इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता है कि किया गया कार्य, सभी संभावनाओं में, मृत्यु का कारण बनेगा। यह प्रावधान धारा 299 और 300 भा.दं. सं. की सीमा से बाहर के अपराधों पर लागू होता है। धारा 304–ए केवल

ऐसे कार्यों पर लागू होती है जो उतावले और उपेक्षा से किए गए हों और सीधे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण हों। धारा 304–ए के तहत उपेक्षा और उतावलापन आवश्यक तत्व हैं।

8. धारा 304–ए एक विशिष्ट अपराध को परिभाषित करती है, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु जल्दबाजी या उपेक्षा से की गई कार्यवाही के कारण होती है और वह कार्य धारा 299 के तहत सदोष हत्या या धारा 300 के तहत हत्या की श्रेणी में नहीं आता है।यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भीड़ के बीच में मोटर वाहन चलाता है और इस तरह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो यह केवल उपेक्षा और उपेक्षा से वाहन चलाने का मामला नहीं होगा और यह कृत्य सदोष हत्या के बराबर होगा।किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई कार्य करना या यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, सदोष हत्या है।जब आशय या ज्ञान कार्य का प्रत्यक्ष प्रेरक बल होता है, तो धारा 304–ए को दोषी मानव वध के अधिक गंभीर और अधिक गंभीर आरोप के लिए जगह बनानी पड़ती है। इस धारा का प्रावधान केवल तेज या उपेक्षा से वाहन चलाने तक सीमित नहीं है। कोई भी तेज या उपेक्षा वाला कार्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, दंडनीय हो जाता है। दो तत्व जिनमें से एक या दोनों को अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साबित किया जा सकता है, वे हैं तेज या उपेक्षा, कोई व्यक्ति तेज या उपेक्षा से किए गए कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है जिसका ड्राइविंग से कोई लेना–देना नहीं हो सकता है।धारा 304–ए के अनुसार उपेक्षा और उतावलेपन को दंडनीय माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निर्णय में कोई त्रुटि न हो, बल्कि मन में विचार–विमर्श के कारण अपराध के साथ–साथ उस व्यक्ति के जीवन को भी जोखिम में डाला जा रहा हो, जो अपराध के परिणामस्वरूप अपनी जान गंवा सकता है। धारा 304–ए में खुलासा किया गया है कि अपराध यह हो सकता है कि किसी भी तरह की मंशा के अलावा, कोई उद्देश्य या आशय न हो, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसी उतावलापन या उपेक्षा का जोखिम उठा सकता है या उसका अभ्यास कर सकता है, जिससे दूसरे की मृत्यु हो सकती है। इस तरह हुई मृत्यु निर्धारण कारक नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. उपेक्षा क्या होती है, इसका विश्लेषण हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (चौथे संस्करण) खंड 34 के पैराग्राफ 1 (कंडिका 3) में इस प्रकार किया गया है:"

I. उपेक्षा के विधि के सामान्य सिद्धांत।–

उपेक्षा एक विशिष्ट अपकृत्य है और किसी भी परिस्थिति में परिस्थितियों की मांग के अनुसार सावधानी न बरतना उपेक्षा है।उपेक्षा किस हद तक है, यह प्रत्येक विशेष प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है। इसमें कुछ ऐसा करने से चूकना शामिल हो सकता है जो किया जाना चाहिए या कुछ ऐसा करना जो किया जाना चाहिए या तो अलग तरीके से या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।जहाँ सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं है, वहाँ लोकप्रिय अर्थ में उपेक्षा का कोई कानूनी परिणाम नहीं होता है, जहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य है, वहाँ ऐसे कार्यों या चूकों से बचने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए, जिनके बारे में उचित रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वे व्यक्तियों या संपत्ति को शारीरिक चोट पहुँचा सकते हैं। किसी विशेष प्रकरण में

आवश्यक सावधानी की डिग्री आस–पास की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और जोखिम की मात्रा और संभावित चोट की भयावहता के अनुसार भिन्न हो सकती है।देखभाल का कर्तव्य केवल उन व्यक्तियों के प्रति होता है जो संभावित खतरे के क्षेत्र में हैं, तथ्य यह है कि प्रतिवादी के कार्य ने किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, जो वादी को दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है जो उसी कार्य से घायल भी हुआ है जब तक कि वह भी संभावित खतरे के क्षेत्र में न हो।तदनुसार वही कार्य या चूक कुछ परिस्थितियों में उपेक्षा के रूप में दायित्व को शामिल कर सकती है, हालांकि अन्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा।महत्वपूर्ण विचार देखभाल की अनुपस्थिति है जो प्रकरण की परिस्थितियों में प्रतिवादी की ओर से वादी के प्रति है और वादी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही दोनों के बीच कारण और प्रभाव का एक स्पष्ट संबंध है"।

10. इस संदर्भ में केनी के आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, 19वें संस्करण (1966) के पृष्ठ 38 से निम्नलिखित अंश को ध्यान में रखना उपयोगी होगा:

"फिर भी एक व्यक्ति बिना किसी विचार के किसी घटना को अंजाम दे सकता है, उसने यह नहीं सोचा होगा कि उसके कार्यों का यह परिणाम होगा और यह उसके लिए एक आश्चर्य के रूप में आएगा। घटना हानिरहित या हानिकारक हो सकती है, यदि हानिकारक है, तो सवाल उठता है कि क्या इसके लिए कानूनी दायित्व है। अपकृत्य विधि में, (सामान्य विधि में) यह इस बात पर विचार करके निर्धारित किया गया किया जाता है कि क्या समान परिस्थितियों में एक उचित व्यक्ति को नुकसान की संभावना का एहसास होता या नहीं और इससे बचने के लिए उसने अपना रास्ता रोक दिया होता या बदल दिया होता।यदि कोई विवेकशील व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो कोई दायित्व नहीं है और नुकसान वहीं होना चाहिए, जहां वह है।लेकिन अगर विवेकशील व्यक्ति ने नुकसान से बचा होता तो दायित्व होता और नुकसान पहुंचाने वाले को उपेक्षा का दोषी कहा जाता है।'उपेक्षा' शब्द का अर्थ है, और इसका इस्तेमाल केवल इस तरह की दोषपूर्ण असावधानी को दर्शाने के लिए किया जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने अपनी उपेक्षा के कारण किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसका कानूनी दायित्व है कि वह चोट के शिकार व्यक्ति को इसकी भरपाई करे, जो उस पर नुकसान के लिए वाद कर सकता है।परंतु अब यह स्वीकार किया जाता है कि सामान्य कानून में असावधानी के कारण हुई क्षति के लिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं है।इसे बार–बार हत्या के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है।'केवल दो मनःस्थितियाँ हैं जो मेन्स रीआ का निर्माण करती हैं और वे हैं आशय और उपेक्षा। दुस्साहस और उपेक्षा के बीच का अंतर सावधानी और असावधानी के बीच का अंतर है, वे परस्पर विरोधी हैं और यह सुझाव देना एक तार्किक भ्रांति है कि उपेक्षा की एक डिग्री है वकीलों की "उपेक्षा" शब्द को कुछ नैतिक विशेषण जैसे कि दुष्ट 'घोर' या 'दोषी' के साथ परिभाषित करने की सामान्य आदत सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रही है क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से विचार और सिद्धांत में बहुत भ्रम जन्म दिया है। दाण्डिक उपेक्षा के बारे में बात करना भी उतना ही भ्रामक है क्योंकि यह केवल स्वयं को समझाने के लिए एक अभिव्यक्ति का उपयोग करना है।"(जोर दिया गया)

11।अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट (1934) द्वारा प्रकाशित टोर्ट्स के कानून के पुनर्कथन खंड □ धारा 28 में कहा गया है कि "उपेक्षा" वह आचरण है जो दूसरों को नुकसान के अनुचित जोखिम से बचाने के लिए स्थापित मानक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से नीचे है। फ्लेमिंग द्वारा टोर्ट्स के कानून में पृष्ठ 124 (ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशन 1957) में कहा गया है कि आचरण के इस मानक को आम तौर पर इस बात से मापा जाता है कि परिस्थितियों के तहत सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति क्या करेगा।डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन बनाम कैंपलिन (1978) 2 ऑल ईआर 168 (एचएल) में लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा था कि (ऑल ईआर पी171 एफ–जी)

"युक्तियुक्त व्यक्ति" उकसावे के विधि में तुलनात्मक रूप से विलंब से आया था। जब 19 वीं सदी के पहले भाग में उपेक्षा का विधि उभरा तो यह कानून द्वारा अपेक्षित देखभाल के मानक का मानवरूपी अवतार बन गया।"देखभाल" "" "तर्कसंगतता" "या" "दूरदर्शिता" "जैसे कानून के अमूर्तता को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए सामान्य विवेक वाले व्यक्ति का आविष्कार आचरण के मानक के एक मॉडल के रूप में किया गया था जिसके लिए समस्त पुरुषों को अनुरूप होना आवश्यक है।"

12. सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, (1980) 1 एस. सी. सी. 30 में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः(एस. सी. सी. पी. 40, कंडिका 28)

"28.....जहां उपेक्षा अपराध का एक अनिवार्य घटक है, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जाने वाली उपेक्षा दोषपूर्ण या गंभीर होनी चाहिए, न कि केवल निर्णय की त्रुटि पर आधारित उपेक्षा।जैसा कि लॉर्ड एटकिन ने एंड्रयूज बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (1937) (2) ऑल ईआर 552 (एचएल) में बताया है, 'साधारण उपेक्षा जो नागरिक दायित्व का गठन करेगी, पर्याप्त नहीं है'; आपराधिक कानून के तहत दायित्व के लिए 'बहुत अधिक उपेक्षा साबित करने की आवश्यकता है.....

संभवतः सभी विशेषणों में से "लापरवाह" सबसे अधिक प्रकरण को कवर करता है।" 12. अब वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हैं, एफआईआर के मात्र अवलोकन से, प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि एफआईआर में ही यह उल्लेख किया गया है कि कार के तेज और उपेक्षा से चलाने के कारण, मृतक की दुर्घटना हुई और उसके बाद उसे उक्त वाहन ने लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि आवेदक ने पूर्वोक्त अपराध को इरादे या ज्ञान या पूर्वचिंतन के साथ किया है।इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक इन तत्वों की अनुपस्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। 13. उपरोक्त विधिक स्थिति के तहत और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित किया गया करना और कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए आरोपों में हस्तक्षेप कर सकता है। 14. यह भी विधि की सुस्थापित विधिक स्थिति है कि आरोप निर्धारित किया गया करने के चरण में पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप के संबंध में सुपरिभाषित हैं यानी प्रथम दृष्टया प्रकरण का अस्तित्व है, और इस स्तर पर,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभिलेख पर सामग्री के सत्यापन मूल्य पर न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने म**हाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा (1996) 4 एससीसी 659 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी (2000) 6 एससीसी 338** में अपने पूर्व निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप निर्धारित किया गया करने के चरण में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया प्रकरण के अस्तित्व का परीक्षण करना है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप निर्धारित किया गया करने के चरण में, न्यायालय को कथित अपराध के तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानात्मक राय बनानी होती है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद सामग्री के सत्यापन मूल्य की गहराई में जाए और यह जांच करे कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री निश्चित रूप से सुनवाई के समापन पर दोषसिद्धि की ओर ले जाएगी।

15. दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 397 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता, जो न्यायालय को किसी अवर न्यायालय के अभिलेखों को मंगाने और उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान करती है, किसी प्रकरण में किसी कार्यवाही या किए गए आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से है। इस प्रावधान का उद्देश्य अधिकारिता या कानून की स्पष्ट त्रुटि या ऐसी कार्यवाही में व्याप्त विकृति को ठीक करना है।इस न्यायालय द्वारा **अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र (2012) 9 एससीसी 460** में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसमें धारा 397 के दायरे पर विचार किया गया है और उसे संक्षेप में इस प्रकार समझाया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. संहिता की धारा 397 न्यायालय को किसी प्रकरण में किसी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए किसी निचली अदालत के अभिलेखों को मंगाने और उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान करती है।इस प्रावधान का उद्देश्य अधिकार क्षेत्र या कानून की स्पष्ट त्रुटि या त्रुटि को ठीक करना है।कोई त्रुटि अवश्य ही होनी चाहिए और न्यायालय के लिए आदेशों की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो प्रथम दृष्टया सावधानीपूर्वक विचार किए जाने का प्रतीक है और कानून के अनुसार प्रतीत होता है।यदि कोई इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर गौर करे, तो यह बात सामने आती है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग तब किया जा सकता है, जब चुनौती दिए गए निर्णय पूरी तरह से गलत हों, कानून के प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो, दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हों, भौतिक साक्ष्यों की अनदेखी की गई हो या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विपरीत तरीके से प्रयोग किया गया है। ये संपूर्ण वर्ग नहीं हैं, बल्कि केवल सांकेतिक हैं।प्रत्येक प्रकरण का निर्धारण उसके अपने गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

13. एक अन्य सर्वमान्य मानदंड यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है और इसका नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।अंतर्निहित प्रतिबंधों में से एक यह है कि यह अंतरिम या मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग से ही अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या किसी प्रकरण में

आरोप उचित रूप से और कानून के अनुसार तैयार किया गया है, तो वह अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक हो सकता है, जब तक कि मामला पूर्वोक्त श्रेणियों के अंतर्गत न आता है।यहां तक कि दं. प्र. सं. के तहत कार्यवाही में आरोप निर्धारित किया गया करना भी काफी आगे की प्रक्रिया है।"

16. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारण के चरण में हस्तक्षेप करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्धारित विधि के आलोक में, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध के लिए दाण्डिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

17. तदनुसार, दिनांक 16-10-2024 के आदेश को आंशिक रूप से अपास्त किया गया है और सत्र विचारण संख्या 31/2024 में आवेदक के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 304 के तहत आरोप निर्धारित किया गया करने के आदेश को भा.दं. सं. की धारा 304-ए में बदल दिया जाता है। अब आवेदक के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 279, 304-ए और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3/181 के तहत अपराध के लिए वाद चलाया जाएगा।

18. तदनुसार, इस दाण्डिक पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(रवींद्र कुमार अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur